न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही
2. पटवारी हल्का, पोसालिया, तहसील- शिवगंज
3. श्री जब्बर सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 07/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार

-: निर्णय :- दिनांक 10 नवम्बर, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 343/2019 में पारित निर्णय दिनांक 17.6.2019 बाबत ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 289 रकबा 0.15 बीघा किस्म रास्ता भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। जबकि प्रत्यर्थी संख्या-3 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मोके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-3 के विरुद्ध प्रकरण संस्थित होने व नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त कर लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

.....पेज दो पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:14:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

यह कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 के संयुक्त खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम पोसालिया में आई हुई, जिसके खसरा संख्या 287 तथा 376 कुल किता 2 रकबा 11.07 बीघा है, इन दोनों खसरों की भूमि के बीच में खसरा संख्या 289 रास्ता दर्शाया है, जो सर्वथा गलत दर्शाया है। अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 287 व 376 की भूमि एक ही चक में है तथा उक्त खसरा संख्या 289 की तरमीम राजस्व अभिलेख में गलत की गई है। अपीलार्थी के खसरा संख्या 287 की उत्तरी माठ से होकर उक्त रास्ता पिछले कई वर्षो से गुजर रहा है तथा इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग कदीमी से होता आ रहा है। अपीलार्थी तथा अन्य लोग अपीलार्थी के खसरा संख्या 287 की उत्तरी माठ में स्थित रास्ते से ही अपनी भूमि में आते जाते है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 287 व 376 के मध्य कोई रास्ता नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रुप से निर्णय पारित किया है। मौके पर खसरा संख्या 287 की उत्तरी माठ से होकर रास्ता गुजरता है। अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 287 व 376 के मध्य से कोई रास्ता कभी भी नही रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त रास्ते की तरमीम गलत हुई, है जिसकी दुरस्ती हेतु अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज के न्यायालय में दुरुस्ती की कार्यवाही प्रस्तुत की गई है। खसरा संख्या 289 की भूमि को अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि के मध्य में गलत रुप से तरमीम किया गया है। खसरा संख्या 289 को जिस स्थान पर राजस्व अभिलेख में तरमीम कर दिखाया गया है, वह गलत है। उक्त स्थान पर अपीलार्थी के आवासीय पुश्तैनी मकान बने हुए है तथा अपीलार्थी उक्त आवासीय मकान में निवास कर रहे है। पुराने आवास के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में कोई विवेचन नही किया किया गया है। यह कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05.3.2017 को मौका देखा गया था जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि खसरा संख्या 289 में रास्ता खसरा संख्या 287 की उत्तरी माठ से होकर पिछले 40-50 वर्षो से गुजरता है। उसके बाद पटवारी द्वारा दिनांक 10.7.2018 को मौका देखा गया था जिसमें भी उक्त रास्ता पुराने समय से उत्तरी माठ से गुजरना पाया गया था। इससे स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि के मध्य में से नही होकर उत्तरी माठ से है जो मौके पर मौजूद है। आम जन के आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नही है। राजस्व अभिलेख में रास्ते की तरमीम गलत होने का तथ्य मौके की स्थिति के अनुसार साबित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 05.3.2017 व 10.7.2018 को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नही है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, पोसालिया द्वारा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-3 के विरुद्ध संवत 2075-76 में ग्राम पोसालिया के खसरा संख्या 289 रकबा 0.15 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:14:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विवादित भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज होने से बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, पोसालिया द्वारा अपीलर्थी व प्रत्यर्थी संख्या-3 के विरुद्ध संवत 2075-76 में ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 289 रकबा 0.15 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-3 के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या-3 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख में ग्राम पोसालिया, पटवार हल्का पोसालिया के खसरा संख्या 289 रकबा 2.12 बीघा भूमि की किस्म रास्ता दर्ज है एवं अपीलार्थी ने उक्त खसरा संख्या 289 की रकबा 0.15 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

10/11/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 13:14:49 IST
Reason: SelfAttested